

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी - जयसिंह (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक-15-04-2024

मुकदमा नम्बर :- 54/2024

GCMS NO. :- 2024/146

कमला देवी पत्नी श्री राकेश कुमार जाति सांसी निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
राजस्थान।

-वादिया

बनाम

1. देवेन्द्र पुत्र सुखदेवा जाति मेघवाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. बाबूलाल पुत्र शकरू जाति मेघवाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. सुभाषचन्द्र पुत्र नौरंग जाति मेघवाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. रामा देवी पत्नी पूर्णमल जाति मेघवाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. पप्पू पुत्र पूर्णमल जाति मेघवाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. महेश पुत्र पूर्णमल जाति मेघवाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. मंजू पुत्री पूर्णमल जाति मेघवाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. बसन्ती पुत्री पूर्णमल जाति मेघवाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9. प्रेम पुत्री पूर्णमल जाति मेघवाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
10. छोटी पुत्री पूर्णमल जाति मेघवाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
11. चन्दा पुत्री पूर्णमल जाति मेघवाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
12. सुमन पुत्री पूर्णमल जाति मेघवाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
13. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी :- श्री विप्लव पंडित/तेजपाल सिंह दूत
वकील प्रति. :- एकपक्षीय
:- राजपैरोकार

दावा बाबत घोषणार्थ, विधिवत विभाजन
अ.धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 12-07-2024

वाद वादिया दिनांक 24-05-2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2024/1984 दिनांक 06.06.2024 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादिया पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादिया अधिवक्ता द्वारा सहमति

Page 5

Kamla Devi -VS- Devendra etc. PD

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

नवलगढ़ जिला झुन्झुनू का पंख (स)

नवलगढ़ जिला झुन्झुनू


12/7/2024

जाहिर की गई। फलस्वरूप वाद वादिया डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता। पत्रावली का एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव उचित होने से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादिया स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

फलस्वरूप वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम बलवन्तपुरा पटवार हल्का चेलासी की सरहद में खाता संख्या नया 79 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 996/267 रकबा 1.34 हैक्टेयर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

1. ग्राम बलवन्तपुरा की भूमि खसरा नम्बर 996/267/2 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म बारानी लगान 2.04 का कमला देवी पत्नी राकेश कुमार जाति सांसी निवासी बलवन्तपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम बलवन्तपुरा की भूमि खसरा नम्बर 996/267/1 रकबा 1.12 हैक्टर किस्म बारानी 1 0.24, बारानी 111 0.88 क्रमशः लगान 2.22, 2.72 का देवेन्द्र पुत्र सुखदेवा हिस्सा 8375/33498, बाबूलाल पुत्र शकरू हिस्सा 67/336, सुभाष चन्द्र पुत्र नोरंग हिस्सा 92125/468972, महेश, पप्पू पुत्रान् पूर्णमल, मंजू, वसन्ती, प्रेम, छोटी, चन्दा, सुमन पुत्रिया पूर्णमल, रामा देवी पत्नी पूर्णमल हिस्सा 664327/1875888 हि.ब. जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12-07-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
जयसिंह (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ व विधिवत विभाजन
अ.धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा सं० :- 54/2024
जी.सी.एम.एस. :- 2024/146

(कमला देवी बनाम देवेन्द्र आदि)

अन्तिम डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू जयसिंह (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बहाजिरी. वकील वादिया मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 12.07.2024 निर्णय वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम बलवन्तपुरा पटवार हल्का चेलासी की सरहद में खाता संख्या नया 79 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 996/267 रकबा 1.34 हैक्टेयर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

1. ग्राम बलवन्तपुरा की भूमि खसरा नम्बर 996/267/2 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म बारानी लगान 2.04 का कमला देवी पत्नी राकेश कुमार जाति सांसी निवासी बलवन्तपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम बलवन्तपुरा की भूमि खसरा नम्बर 996/267/1 रकबा 1.12 हैक्टर किस्म बारानी 1 0.24, बारानी III 0.88 क्रमशः लगान 2.22, 2.72 का देवेन्द्र पुत्र सुखदेवा हिस्सा 8375/33498, बाबूलाल पुत्र शकरू हिस्सा 67/336, सुभाष चन्द्र पुत्र नोरंग हिस्सा 92125/468972, महेश, पप्पू पुत्रान्न पूर्णमल, मंजू, बसन्ती, प्रेम, छोटी, चन्दा, सुमन पुत्रिया पूर्णमल, रामा देवी पत्नी पूर्णमल हिस्सा 664327/1875888 हि.व. जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बशरख्स मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.07.2024 को जारी की गई।

(जयसिंह)

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ जिला सुन्सुनू
नवलगढ़